

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-746 / 2008

संस्थित दिनांक-03.11.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ी (बफर जोन),
 वन मण्डल कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- परिवादी

// विरुद्ध //

1-सम्हारु पिता झामसिंह गोंड, उम्र 50 वर्ष,
 निवासी-ग्राम पोण्डी, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-सहदेव पिता हरेसिंह गोंड, उम्र 45 वर्ष,
 निवासी-ग्राम कुकर्मा (संतनटोला), थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-गंगाराम पिता मंगलसिंह गोंड, उम्र 48 वर्ष,
 निवासी-ग्राम पोण्डी, थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-सुकदेव पिता हरेसिंह गोंड, उम्र 48 वर्ष,
 निवासी-ग्राम कुकर्मा (संतनटोला), थाना गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-28 / 11 / 2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 39, 50 एवं सहपठित धारा-51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-11.08.2008 को स्थान सम्हारु के खेत ग्राम पोण्डी परिक्षेत्र गढ़ी बफर जोन में वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार किया तथा मांस खाने के उद्देश्य से स्वयं के घर पर उक्त प्राणी का मांस लाकर पकाया।

2— संक्षेप में परिवादी पक्ष का परिवादी इस प्रकार है कि परिवादी वन परिक्षेत्र बफरजोन वन मण्डल कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला के अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत होते हुये उक्त परिवाद पत्र पेश किया गया है। परिवादी ने अपने परिवाद में उल्लेख किया है कि उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपीगण ग्राम पौण्डी के सम्हारु के घर में जंगली सुअर का मांस पका कर खा रहे है। उक्त सूचना पर उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा ने ग्राम पौण्डी पहुंचकर आरोपी सम्हारु के घर से 500 ग्राम पका हुआ मांस, अतडी स्टील की थाली में लगभग 500 ग्राम, चर्बी लगभग 200 ग्राम, एक कुल्हाडी, खून लगी हुई नागर की डाडी, सुअर के बाल एवं राख जप्त किया गया था। दिनांक-11.08.2008 को आरोपी सम्हारु से पूछताछ किये जाने पर उसने अपने खेत में सुअर मार बम रखकर एक जंगली सुअर का शिकार करना स्वीकार किया तथा जंगली सुअर के मांस को उसने जंगली सुअर के मांस को खुद भी पका कर खाया तथा सहदेव, गंगाराम, सुखदेव को मांस बेचा गया था। आरोपी के घर एवं खेत से जंगली सुअर का जबडा, खून लगे घास पत्ती व मिट्टी जप्त किया गया। आरोपी सम्हारु के कथन के आधार द्वारा आरोपी सहदेव, गंगाराम व सुखदेव से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने 60/- रुपये प्रति कि.ग्रा. के भाव से मांस खरीदकर पकाकर खाना स्वीकार किया। आरोपीगण द्वारा अपना जुर्म कबूल किये पर स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-9023/8, धारा-9, 39(बी), 50, 51, 51(ए) पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का पंचनामा, मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, जप्तशुदा मांस का परीक्षण करवाया गया, आरोपीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को व वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 39, 50 एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-11.08.2008 को स्थान सम्हारु के खेत ग्राम पौण्डी परिक्षेत्र गढ़ी बफर जोन में वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार किया तथा मांस खाने के उद्देश्य से स्वयं के घर पर उक्त प्राणी का मांस लाकर पकाया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— फागूलाल मरावी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह दिनांक-10.08.2008 को गढ़ी में उप वनक्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था। उसे बीट गार्ड ने सूचना दिया था कि सुअर का शिकार हुआ है।

उक्त सूचना पर वह अपने स्टाफ के साथ शाम के समय सम्हारू के घर गये थे तब सम्हारू ने उन लोगों को देखकर दरवाजा बंद कर लिया था और पीछे से भाग गया था। मौके पर उसकी पत्नी मिली थी, तथा गांव के दो-तीन लोगों को बुलवाये थे। उन लोगों ने उपस्थित पंचो को बताया था कि सम्हारू ने सुअर का शिकार किया था। आरोपी की पत्नी ने पका हुआ मांस, अतडी व चर्बी दिखाई थी, जिसका मौके पर पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दूसरे दिन आरोपी सम्हारू रेंज आफिस में आया था और उसने अपना जुर्म कबूल किया था, उसके द्वारा घटना स्थल का पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी सम्हारू के बताये जाने पर आरोपी के खेत से खून, सुअर का जबड़ा, रस्सी आदि मिला था तथा वनरक्षक के द्वारा ही मांस, अतडी, पका हुआ गोश्त, चर्बी आदि जप्त किया गया था। वनरक्षक द्वारा पी.ओ.आर. काटा गया था। उसे आरोपी सम्हारू ने अपना बयान प्रदर्श पी-3 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त बयान में आरोपी ने सुखदेव, सहदेव, गंगाराम के साथ मिलकर शिकार किया जाना बताया था। उसने आरोपी गंगाराम का बयान प्रदर्श पी-4 लिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त बयान में आरोपी ने बताया था कि आरोपी सम्हारू ने उसे ले गया था तथा गोश्त दिया था। उसने आरोपी सहदेव का अपना बयान प्रदर्श पी-5 लिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त बयान में आरोपी ने बताया था कि वह उधर गया था तो उसे भी गोश्त दिया था। उसके आरोपी सुखदेव का बयान प्रदर्श पी-6 लिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी सम्हारू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात् शेष आरोपीगण सहदेव, सुखदेव और गंगाराम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा फूलचंद का बयान प्रदर्श पी-9 व लक्ष्मण का बयान प्रदर्श पी-10 लिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे वनरक्षक ने अपना बयान प्रदर्श पी-11 लिखकर दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी समेरसिंह ने अपना बयान प्रदर्श पी-12, दशरथ ने अपना बयान प्रदर्श पी-13 दिया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी-14 है, जिसमें घटना स्थल 882 में गुलाबी कलर से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसके द्वारा नजरी नक्शा प्रदर्श पी-15 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा वन्य प्राणी सुअर के मांस को परीक्षण हेतु उप संचालक के माध्यम से भेजा गया था। आरोपीगण के विरुद्ध सुअर के शिकार करने के पर्याप्त साक्ष्य होने से उसने परिक्षेत्र अधिकारी को सौंप दिया था। परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा परिवाद पत्र पेश किया गया।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अन्य आरोपीगण से कुछ भी जप्ती नहीं की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मांस की जप्ती आरोपी सम्हारू से नहीं किया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके घर से किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी सम्हारू की पत्नी का कोई बयान नहीं लिया था तथा उसने यह भी नहीं पूछा कि मांस कहां से प्राप्त किया गया था। आरोपी सम्हारू के विरुद्ध कथित जप्ती के आधार पर मामला तैयार किया गया है तब साक्षी ने

आरोपी सम्हारू की पत्नी को उक्त आधार पर मामले में आरोपी न बनाये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं किया गया है। साक्षी ने सभी आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें अभियोजित किये जाने हेतु परिवाद तैयार कराया है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही एवं स्वीकारोक्ति की कार्यवाही को संदेह से परे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

7— लूकचंद पारधी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—10.08.2008 को अरुनी बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण ने जंगली सुअर का मांस काटे थे और उसे खाये थे। जब वह गश्ती पर गया था तब उसे सूचना मिली थी कि आरोपीगण ने सुअर का शिकार किये है। उक्त सूचना पर वह तथा उसके साहब आरोपी सम्हारू के घर गये थे तब आरोपी सम्हारू घर का दरवाजा बंद करके घर के पीछे से भाग गया था। उसने आरोपी को दिनांक—10.08.2009 को घर पर देखा था। आरोपी की पत्नी ने दरवाजा खोला और घर में मांस होना बताया था। उसने के आरोपी के घर से सुअर का मांस 500 ग्राम, अतडी, नागर का ताण्डी, सुअर के बाल व आंख, कुल्हाड़ी जप्त किया गया था तथा प्रदर्श पी—16 का जप्तीनामा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सम्हारू ने खेत के बर्रे में घटना स्थल पर सुअर के जबड़े व रस्सी दिखाया था, जिसे जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—17 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पी.ओ.आर. प्रदर्श पी—18 काटा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त पी.ओ.आर. में आरोपी सम्हारू के अलावा अन्य किसी आरोपी का नाम नहीं है। पी.ओ.आर. काटने के दूसरे दिन अन्य आरोपीगण आये थे। उसके समक्ष पंचनामा प्रदर्श पी—2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी—1 पर उसके हस्ताक्षर नहीं लिये गये थे। उसके समक्ष आरोपीगण का बयान लिया गया था। उसने अपना बयान प्रदर्श पी—11 व दूसरे दिन प्रदर्श पी—19 का बयान दिया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उन लोगों ने अन्य आरोपीगण के घर से कोई जप्ती नहीं किये थे। अन्य आरोपीगण ने कोई सुअर का मांस पेश नहीं किया था।

8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मांस की जप्ती आरोपी सम्हारू की पत्नी से किया था और प्रकरण की समस्त लिखापढ़ी की कार्यवाही रेंज आफिस में हुई थी और वहीं पर उप वनपाल के द्वारा आरोपीगण के कथन लिये गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पी.ओ.आर. के दिन ही अपना बयान लिखकर दिया था, दूसरे दिन बयान नहीं दिया था। इस साक्षी के द्वारा लेख पी.ओ.आर. प्रदर्श पी—18 में दिनांक—10.08.2008 उल्लेख है, जबकि एक बयान उसी दिनांक का तथा दूसरा बयान दिनांक—11.08.2008 का दिया जाना प्रकट होता है।

9— एस.के.सिन्हा (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—03.11.2008 को वन परिक्षेत्र बफर जोन गढ़ी में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक—11.08.2008 को आरोपीगण सम्हारू, सहदेव, गंगाराम के द्वारा जंगली सुअर का शिकार किया गया तथा शिकार करने की सामग्री अपने आधिपत्य में रखकर

तथा जंगली सुअर के शरीर के अंग अपने आधिपत्य में रखे होने से आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध में लिप्त पाये जाने के कारण उसके अधिनस्थ द्वारा विवेचना की गई तथा आरोपीगण के विरुद्ध उसके द्वारा दिनांक-03.11.2008 को परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वह वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की 1972 की धारा-55 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि साक्षी ने मामले में कोई जांच या विवेचना नहीं की है, बल्कि साक्षी के कथन से मात्र परिवाद पत्र प्रस्तुति की पुष्टि होती है।

10— समेलसिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण के जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष पंचनामा की कार्यवाही नहीं हुई थी। उसके सामने वन अधिकारी द्वारा कोई तलाशी लिये जाने और जप्ती किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके बयान प्रदर्श पी-2 से इंकार कर गिरफ्तारी कार्यवाही प्रदर्श पी-7 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह वन विभाग में श्रमिक है और वन विभाग के अधिकारी के कहने पर उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया था, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परिवादी का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

11— फूलचंद (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण के जानता है। उसे घटन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने आरोपी सम्हारु के बताये अनुसार कथित जंगली सुअर का शिकार करने एवं उससे कोई सामान जप्त किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-9 एवं गिरफ्तार पंचनामा प्रदर्श पी-8 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने वनरक्षक के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परिवादी का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

12— प्रकरण में आरोपीगण को कथित शिकार किये जाने के संबंध में किसी साक्षी के द्वारा नहीं देखा गया है। मामले में मात्र आरोपी सम्हारु की पत्नी से कथित मांस की जप्ती के आधार पर आरोपीगण को अभियोजित किया गया है, किन्तु कथित जप्तशुदा मांस को मौके पर विधिवत् सीलबंद किये जाने और सीलबंद नमूना को विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाने के कथन किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किये हैं। ऐसी दशा में प्रकरण में प्रस्तुत वाईल्ड लाईफ फारेंसिक सेल देहरादून की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 में नमूना के परीक्षण उपरांत जंगली सुअर का निष्कर्ष सही मान भी लिया जाये तब भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि कथित परीक्षण हेतु नमूना जप्तशुदा मांस से प्राप्त कर विधिवत् प्रेषित किया गया था। अतएव उक्त के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव होने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि आरोपी सम्हारु की पत्नी से जप्त मांस को परीक्षण हेतु विधिवत् नमूना सीलबंद करके भेजा गया था और उसी की

रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न है। इस प्रकार यदि तर्क के लिये कथित जप्ती की कार्यवाही को मान भी लिया जाये तब भी उक्त महत्वपूर्ण तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपीगण के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

13— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य से यह प्रकट होता है कि आरोपीगण को किसी भी साक्षी के द्वारा कथित शिकार किये जाते हुये नहीं देखा गया है। प्रकरण में अपराध से संबंधित जप्तशुदा मांस व अन्य सामग्री की जप्ती की कार्यवाही का किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। जहां तक आरोपीगण से कथित स्वीकारोक्ति के कथन प्राप्त किये जाने का प्रश्न है, उस संबंध में भी अन्य साक्षीगण ने उक्त तथ्य का समर्थन नहीं किये जाने और मात्र स्वीकारोक्ति को अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव मामले में विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार मामले में प्रत्यक्ष का अभाव है तथा जो पारिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रकट होती है उनकी विवेचना से आरोपीगण के विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध तथ्यों की कड़ी नहीं जुड़ती है। जहां साक्ष्य परिस्थितिक प्रकृति की है, वहां जिन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना है, वह बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए और ऐसे निश्चित तथ्य आरोपी को दोषिता की सम्भावनाओं के अनुरूप होने चाहिए। परिस्थितियां निश्चयात्मक प्रवृत्ति तथा प्रकृति की होनी चाहिए, जो कल्पना से परे हो। परिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी बिल्कुल पूर्ण होनी चाहिए जिससे कि आरोपी की निर्दोषिता को सिद्ध करने की कोई गुंजाइश न रहने पाए और यह ऐसी होनी चाहिए कि सभी मानवीय सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता हो कि कृत्य आरोपीगण के द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार परिवादी मामले में जो युक्ति-युक्त संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन्हें परिवादी की ओर से साक्ष्य में दूर नहीं किया जा सका है, जिसका लाभ आरोपीगण को प्राप्त होता है।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि दिनांक-11.08.2008 को स्थान सम्हारु के खेत ग्राम पोण्डी परिक्षेत्र गद्दी बफर जोन में वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार किया तथा मांस खाने के उद्देश्य से स्वयं के घर पर उक्त प्राणी का मांस लाकर पकाया। अतएव आरोपीगण को न्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 39, 50 एवं सहपठित धारा-51 के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

16— आरोपी गंगाराम मामले में दिनांक-11.08.2008 से दिनांक-19.08.2008 तक तथा दिनांक-06.01.2014 से दिनांक-07.01.2014 तक, आरोपी सम्हारु दिनांक-11.08.2008 से दिनांक-19.08.2008 तक तथा दिनांक-08.01.2014 से दिनांक-09.01.2014, आरोपी सहदेव एवं सुखदेव दिनांक-11.08.2008 से दिनांक-19.08.2008 तक तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं, जिसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

17— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कुल्हाड़ी, एक लकड़ी, एक थाली स्टील, एक ढक्कन एल्युमिनियम, घास पत्ता मिट्टी वन विभाग के कार्यालय में सुरक्षार्थ रखी गई है, जो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जाने हेतु वन विभाग को ज्ञापन जारी किया जावे। अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट